

छत्तीसगढ़ शासन
ऊर्जा विभाग
मंत्रालय, डी०के०एस० भवन, रायपुर

आदेश

रायपुर, दिनांक 31 दिसम्बर, 2008

क्रमांक ४८४/बिसओ/१३-१/२००८ : छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड के अंतर्नियम की कंडिका 77 में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए राज्य शासन श्री पी०जौय उम्मेन, मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, श्री विवेक ढाँड, प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, श्री डी०एस०मिश्रा, प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन एवं श्री एस०एन०चौहान, मुख्य अभियंता, छ०ग०राज्य विद्युत मण्डल को दिनांक 1-1-2009 से उपरोक्त कंपनी का निदेशक नियुक्त करता है।

2. श्री पी०जौय उम्मेन, मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन को अंतर्नियम की कंडिका 92 में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए राज्य शासन उपरोक्त कंपनी का अध्यक्ष नियुक्त करता है।

3. श्री व्ही०के०जैन, जो छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड के निदेशक हैं, उन्हें अंतर्नियम की कंडिका 77 (iv) के अंतर्गत इस कंपनी के निदेशक के पद से पदमुक्त किया जाता है।

4. श्री एस०एन०चौहान, उपरोक्त कंपनी के निदेशक को अंतर्नियम की कंडिका 78 में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए राज्य शासन आगामी आदेश तक उपरोक्त कंपनी का प्रबंध संचालक नियुक्त करता है।

5. नियुक्ति की सेवा शर्ते पृथक से जारी की जायेगी।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

ML ३।।२
(देवासीष दास)
विशेष सचिव,
छत्तीसगढ़ शासन
ऊर्जा विभाग

- ३३ - ५८७